वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग–4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता महाप्रबंधक (कार्पो, अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड रायपुर द्वारा सुकमा वनमंडल अंतर्गत तोंगपाल–सुकमा, सुकमा–दोरनापाल, दोरनापाल–कोन्टा, मोखपाल–सुकमा, तोंगपाल–छिंदगढ़ एवं चिंतागुफा–दोरनापाल सड़क किनारे राईट ऑफ–वे अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु आरक्षित वन भूमि रकबा 1.287 हे., संरक्षित वन भूमि रकबा 1.355 हे. एवं राजस्व वन भूमि 1.215 हे कुल रकबा 3.857 हे.वन भूमि में गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर के अभिमत से सहमत होते हुए आप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु 3.857 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांकः 19 /07/2023
स्थानः अरण्य भवन, नवा रायपुर

19/7/23
(व्ही. श्रीनिवास राव)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़, रायपुर

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर–492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाषः 0771 – 2512840 ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/विविध–ए/115–940–A/ 1706 रायपुर, दिनांक 19/07/2023

प्रति,

प्रमुख सचिव
छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर
नवा रायपुर

विषयः— **सुकमा जिले के सुकमा वन मंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु जियो डिजिटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा Laying of OFC along with RoW (Road Corridor) under network strengthening and providing connecting to Rural Areas in Sukma District of Chhatisgarh हेतु क्षेत्रफल 3.857 हे. का व्यपवर्तन प्रस्ताव।**
— **पंजीयन कमांक — FP/CG/OFC/155722/2022**

संदर्भः— मुख्य वन संरक्षक जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर का पत्र कमांक /व.त.अ/1190 दिनांक 16.05.2023 एवं वन मंडलाधिकारी सुकमा वन मंडल का पत्र क्रमांक 1102 दिनांक 16.06.2023

—0—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से आवेदनकर्ता महाप्रबंधक (कार्पो, अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड रायपुर द्वारा सुकमा वनमंडल अंतर्गत तोंगपाल–सुकमा, सुकमा–दोरनापाल, दोरनापाल–कोन्टा, मोखपाल–सुकमा, तोंगपाल–छिंदगड़ एवं चिंतागुफा–दोरनापाल सड़क किनारे राईट ऑफ–वे अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु आरक्षित वन भूमि रकबा 1.287 हे., संरक्षित वन भूमि रकबा 1.355 हे., एवं राजस्व वन भूमि 1.215 हे कुल रकबा 3.857 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र–3 में अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

नोड़ल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार हैः—

क्रं.	विवरण	पृष्ठ क्र
1.	**आवेदक विभाग का मांग पत्र–** आवेदनकर्ता महाप्रबंधक (कार्पो, अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड रायपुर द्वारा सुकमा वनमंडल अंतर्गत तोंगपाल–सुकमा, सुकमा–दोरनापाल, दोरनापाल–कोन्टा, मोखपाल–सुकमा, तोंगपाल–छिंदगड़ एवं चिंतागुफा–दोरनापाल सड़क किनारे राईट ऑफ–वे अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु आरक्षित वन भूमि रकबा 1.287 हे., संरक्षित वन भूमि रकबा 1.355 हे., एवं राजस्व वन भूमि 1.215 हे कुल **रकबा 3.857 हे.** वन भूमि की मांग की गई है।	1
2.	**रजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु ऑनलाईन एकनालेजमेंट स्लिप की छायाप्रतिः**— प्रस्ताव का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन क्रमांक **FP/CG/OFC/155722/2022** आबंटित किया गया है।	2–11
3.	**वन क्षेत्र का विवरणः**— आवेदनकर्ता महाप्रबंधक (कार्पो, अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड रायपुर द्वारा सुकमा वनमंडल अंतर्गत तोंगपाल–सुकमा, सुकमा–दोरनापाल, दोरनापाल–कोन्टा, मोखपाल–सुकमा, तोंगपाल–छिंदगड़ एवं चिंतागुफा–दोरनापाल सड़क किनारे राईट ऑफ–वे अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु आरक्षित वन भूमि रकबा 1.287 हे., संरक्षित वन भूमि रकबा 1.355 हे., एवं राजस्व वन भूमि 1.215 हे कुल रकबा 3.857 हे. में गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्तावित है।	12–17

4.	**गैर वन क्षेत्र विवरणः–** आप्टिकल फायबर केबल बिछाने के कार्य में गैर वन भूमि रकबा 7.844 हे. का ग्रामवार विवरण संलग्न है।	18–19
5.	**प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल परः–** प्रस्तावित वनक्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का 1:50000 स्केल का मानचित्र संलग्न है।	20–21
6.	**वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैपः–** प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का इण्डेक्स मैप ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन प्रबंधन सूचना प्रणाली रायपुर से प्राप्त कर प्रस्ताव में समायोजित किया जावेगा।	22
7.	**प्रपत्र–4 में प्रस्तावः–** प्रपत्र 04 में ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन बिछाने हेतु परियोजना की लागत रू. 630 लाख बतायी गई है। आवेदक संस्थान ने कथन किया गया है, कि ऑप्टिकल फाईबर लाईन केबल लाईन बिछाने से 59 ग्रामों एवं उनके आसपास स्थित अन्य ग्रामों में दूरसंचार व्यवस्था सुदृढ़ होगी तथा इंटरनेट के माध्यम से शासकीय एवं गैर शासकीय योजनाओं का लाभ सीधे आम व्यक्तियों को प्राप्त होगी। रोजगार सृजन के अवसर में वृद्धि होकर वित्तीय लेन–देन में गति आयोगी तथा उस क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास भी होगा।	36–44
8.	**प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीपः–** सुकमा वनमंडल अंतर्गत तोंगपाल–सुकमा, सुकमा–दोरनापाल, दोरनापाल–कोन्टा, मोखपाल–सुकमा, तोंगपाल–छिंदगड़ एवं चिंतागुफा–दोरनापाल सड़क किनारे आरक्षित वन भूमि रकबा 1.287 हे., संरक्षित वन भूमि रकबा 1.355 हे., एवं राजस्व वन भूमि 1.215 हे कुल रकबा **3.857** हे. में ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन बिछाने हेतु प्रस्तावित किया गया है। सुकमा जिले में मोबाईल नेटवर्क कनेक्टिविटी का विस्तार एवं सुदृढीकरण से 59 ग्रामों एवं उनके आसपास स्थित अन्य ग्रामों में दूरसंचार व्यवस्था सुदृढ़ होगी तथा इंटरनेट के माध्यम से शासकीय एवं गैर शासकीय योजनाओं का लाभ सीधे आम व्यक्तियों को प्राप्त होगी। रोजगार सृजन के अवसर में वृद्धि होकर वित्तीय लेन–देन में गति आयोगी तथा उस क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास भी होगा।	45
9.	**न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्रः–** आवेदनकर्ता महाप्रबंधक (कार्पो, अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड रायपुर द्वारा सुकमा वनमंडल अंतर्गत तोंगपाल–सुकमा, सुकमा–दोरनापाल, दोरनापाल–कोन्टा, मोखपाल–सुकमा, तोंगपाल–छिंदगड़ एवं चिंतागुफा–दोरनापाल सड़क किनारे राईट ऑफ–वे अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु आरक्षित वन भूमि रकबा 1.287 हे., संरक्षित वन भूमि रकबा 1.355 हे., एवं राजस्व वन भूमि 1.215 हे कुल रकबा 3.857 हे. वन भूमि गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्तावित है। उक्त प्रकरण में मांग की गई वन भूमि आवश्यक एवं न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।	46
10.	**अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो/जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरूद्ध की गई कार्यवाहीः–** इस परियोजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण निरंक है।	47
11.	**वनाधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम, पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जावेगाः–** सुकमा जिले के सुकमा वनमंडल अंतर्गत आरक्षित वन भूमि रकबा 1.287 हे., संरक्षित वन भूमि रकबा 1.355 हे., एवं राजस्व वन भूमि 1.215 हे कुल रकबा 3.857 हे. में ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन बिछाने हेतु वन मंडलाधिकारी सुकमा ने दिनांक 12.04.2023 द्वारा भाग – II पर प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है तथा उक्त अनुशंसा के आधार पर मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर ने दिनांक 16.05.2023 द्वारा भाग – III पर प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है जो परियोजनाओं के लिये अपरिहार्य एवं न्यूनतम है। वन क्षेत्र का घनत्व 0.2 से 0.3 तक है। निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।	48–64

12.	**ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्रः–** प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व स्थल एवं पुरातात्विक स्थल प्रभावित नहीं हो रहा है।	65
13.	**संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र–** ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन बिछाने हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के संबंधित ग्राम पंचायतों का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	66–115
14.	**जिले की कुल वन भूमि रकबा हे. में:–** सुकमा जिले के सुकमा वन मंडल अंतर्गत कुल वन भूमि रकबा 3448.520 वर्ग कि.मी. है।	116
15.	**व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में:–** सुकमा जिले के सुकमा वन मंडल अंतर्गत के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् 07 स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित वन भूमि का रकबा 106.274 हेक्टेयर है।	117
16.	**व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा हे. में:–** व.स.अ.–1980 तहत सुकमा जिले के सुकमा वन मंडल अंतर्गत स्वीकृति प्रकरणों में इसी श्रेणी के कुल 01 प्रत्यावर्तन प्रकरण में रकबा 0.750 हे. वन भूमि प्रभावित हुई है।	118
17.	**प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (छत्तीसगढ़ शासन का पत्र कमांक/ एफ–5–20/2007/10–2 दिनांक 12/01/2010):–** प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान वन्यप्राणी अभ्यारण्य या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/ मूर्ति स्थापित नहीं है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी, सुकमा का प्रतिवेदन संलग्न है।	119
18.	**वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा)। (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र कमांक/F.No. 11–9/1998 दिनांक 03/08/2009):–** आवेदित क्षेत्र के लिये भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 26.02.2019 के अनुसार ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन बिछाने हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में वितरित वन अधिकार मान्यता पत्र निर्धारित प्रदर्श–''स'' में कलेक्टर जिला सुकमा द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 21.03.2023 संलग्न है।	120–124
19.	**राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालयीन पत्र कमांक भू–प्र/1317 दिनांक 25/05/2007):–** प्रस्ताव में रकबा 1.215 हे. राजस्व वन भूमि सम्मिलित है। राजस्व वन भूमि के उपयोग हेतु कलेक्टर सुकमा के पत्र क्रमांक /2629/वाचक/2022 दिनांक 22.12.2022 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी की गई है जो प्रस्ताव में संलग्न है।	125–129
20.	**पंजीयन क्रमांक–पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र कमांक/एफ–7–22/2009/10–2 दिनांक 31/07/2009):–** आवदेक संस्थान द्वारा पंजीयन शुल्क राशि 6000/– रूपये डी.डी. क्रमांक 227148 दिनांक 21.06.2022 एवं प्रोसेसिंग शुल्क की राशि 29000/– रूपये डी.डी. क्रमांक 227149 दिनांक 21.06.2022 इस प्रकार कुल राशि 35000/– रूपये वनमंडलाधिकारी सुकमा के पी.डी खाते में जमा किया गया है।	130–130 बी
21.	**राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण के अंदर में ओ.एफ.सी. गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ की अनुशंसाः–** आवेदित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कॉरीडोर स्थित नहीं होने के कारण प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ के अभिमत की आवश्यकता नहीं है।	131

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ का अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग–4 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 02 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–
1. प्रस्ताव 02 प्रति में मय डी.जी.पी.एस रिपोर्ट
2. संदर्भित पत्र की छाया प्रति
3. भाग–4
4. टाईम लाईन

(प्र.मु.व.स. द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.सं (भू–प्रबंध /व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र0/ भू–प्रबंध/विविध–ए/115–940–A/1707 रायपुर, दिनांक 19/07/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।
2. **वन मंडलाधिकारी**, सुकमा वन मंडल, सुकमा, छत्तीसगढ़।
3. **महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)** जियो डिज़ीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड चतुर्थ तल, अम्बुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (सड्डू), रायपुर (छ.ग.) ।

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़